

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 105/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बृज प्रकाश पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, निवासी गांव
रामसरा नारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक 07.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरुद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से सूचना नहीं मिली है। लोक सूचना अधिकारी से सूचना दिलाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र क्रमांक 1211 दिनांक 23.10.2017 द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ पत्र क्रमांक 912 दिनांक 01.09.2017 की फोटो कापी संलग्न है जिसका अवलोकन करने से उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (6) 3 के तहत अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं प्रिंसीपल, एन.एम.पी.जी. कालेज, हनुमानगढ टाउन को अन्तरित किया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को भिजवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रिंसीपल, एन.एम.पी.जी. कालेज हनुमानगढ टाउन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रिंसीपल, एन.एम.पी.जी. कालेज हनुमानगढ टाउन के विरुद्ध सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार प्रथम अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णीत की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ